संख्या: 232–उनिलि / रिफॉर्म / मा.सं.नीति / पाली नीति

दिनाँक: फरवरी 19, 2009

कार्यालय ज्ञाप

निगम कार्यहित में एतदद्वारा तापीय विद्युत गृहों पर कार्यरत् विद्युत एवं यांत्रिकी संवर्ग के अभियन्ता / अवर अभियन्ताओं की 'पाली कार्य' हेतु तैनाती किये जाने हेतु पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद एवं उत्पादन निगम द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत समस्त आदेशों के अतिक्रमण में निम्नलिखित आदेश किये जाते हैं–

पाली के कार्यों हेतु विद्युत अभियांत्रिकी तथा यांत्रिक अभियांत्रिकी विधाओं एवं इलैक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर, इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्ट्रूमेंटेशन, दूर संचार, अभियांत्रिकी विधाओं के अधिशासी /सहायक /अवर अभियन्ताओं हेतु पाली नीति अलग–अलग प्रकार से निम्नानुसार लागू की जायेगी–

(अ) विद्युत एवं यांत्रिक अभियांत्रिकी सम्बन्धित अभियन्ताओं हेतु–

1. प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता को उस पद पर क्रमशः न्यूनतम 2 वर्ष, 4 वर्ष एवं 6 वर्ष पाली में तैनात रहना आवश्यक होगा। आवश्यकता पड़ने पर दूसरे चक्र में पुनः पाली सेवा में निम्न पैराओं में वर्णित आधारों पर तैनाती की जा सकती है।
2. पाली में तैनाती हेतु विद्युत गृह स्तर पर उन अधिशासी / सहायक / अवर अभियन्ताओं, नव नियुक्त प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षणोपरान्त तैनाती / पदोन्नति पर तैनाती आदेशों की तिथि के आधार पर ऐसे अभियन्ताओं की, तीन पृथक–पृथक वरिष्ठता सूचियाँ अधिशासी अभियन्ता–'क', सहायक अभियन्ता–'क' एवं अवर अभियन्ता–'क' तैयार की जायेगी, जो किसी भी विद्युत गृह में उस पद पर पाली सेवा में कभी भी तैनात नहीं रहे हैं। यदि एक से अधिक कार्मिक एक ही तिथि को अधिशासी /सहायक /अवर अभियन्ता पद पर तैनात किये जाते हैं तो प्रशिक्षुओं हेतु उनकी मेरिट लिस्ट तथा अन्य पदों हेतु निगमीय वरिष्ठतानुसार पाली वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। इन्हीं सूचियों में घोषित वरिष्ठता क्रम के आधार पर प्रथम बार उस पद पर उसकी पाली में तैनाती की जायेगी।
3. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) / सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) को उनकी प्रशिक्षण के अंतिम 2 माह में पाली सेवा में अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ताओं के साथ समानांतर कार्य कराया जायेगा और इस अवधि को प्रशिक्षण का अंग मानकर 'पाली कार्यावधि' में इसकी गणना नहीं की जायेगी। इस प्रकार अन्य उपक्रमों / विभागों / संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर आये, lateral entry पर नियुक्त किये गये अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को निगम में नियुक्ति के पश्चात 2 माह पाली में समांतर कार्य कराया जायेगा और इस अवधि को पाली

कार्य अवधि की गणना में नहीं लिया जायेगा। इस 2 माह की समानांतर पाली में सेवा पश्चात् अथवा नियमित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता पद पर नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, के आधार पर उपरोक्त श्रेणी के अभियन्ताओं के नाम पैरा–2 में वर्णित वरिष्ठता सूची में रखे जायेगें तत्पश्चात् पाली सेवा की अवधि की गणना की जायेगी।

4. उपरोक्तानुसार घोषित वरिष्ठता सूचियों के अतिरिक्त उन अधिशासी/सहायक/अवर अभियन्ताओं की भी अलग–अलग तीन वरिष्ठता सूचियाँ अधिशासी अभियन्ता –'ख', सहायक अभियन्ता –'ख' एवं अवर अभियन्ता–'ख' विद्युत गृह स्तर पर घोषित की जायेगी, जिन्होंने 'पाली सेवा' में तैनाती हेतु आवश्यक उपरोक्त निर्धारित अवधि किसी भी विद्युत गृह/गृहों पर पूरी कर ली हो। इसमें वरिष्ठताक्रम अधिशासी/सहायक/अवर अभियन्ता पद पर नियुक्ति/तैनाती आदेश जारी किये जाने की तिथि के अनुसार होगा। यदि एक से अधिक अभियन्ता एक ही तिथि को अधिशासी/सहायक/अवर अभियन्ता पद पर नियुक्त/तैनात किये जाते है तो वरिष्ठताक्रम निगम की वरिष्ठता सूची के अनुसार होगा और यदि किसी कारण से निगम की वरिष्ठता सूची उपलब्ध न हो तो नियुक्ति के समय की मेरिट सूची के अनुसार होगा। इस वरिष्ठता सूची में उनके नाम के समक्ष उस पद पर प्रथम चक्र तथा उसके बाद के चक्रों में की गयी पाली सेवा अवधि भी अंकित की जायेगी।
5. किसी भी विद्युत गृह पर पाली में कार्यरत् अभियन्ताओं द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर उनकी अन्यत्र तैनाती से पाली में बनी रिक्तियों के विरुद्व आवश्यकतानुसार वरिष्ठता सूची अधिशासी अभियन्ता–'क', सहायक अभियन्ता–'क' एवं अवर अभियन्ता–'क' से वरिष्ठता क्रमानुसार पाली में तैनाती की जायेगी।
6. उपरोक्तानुसार पाली वरिष्ठता सूची अधिशासी अभियन्ता–'क', सहायक अभियन्ता–'क' एवं अवर अभियन्ता–'क' से सम्बन्धित अभियन्ताओं की विद्युत गृह विशेष पर पाली में तैनाती होने के पश्चात, यदि इन सूचियों में कोई कार्मिक न बचा हो के आधार पर, आवश्यकतानुसार पाली वरिष्ठता सूची अधिशासी अभियन्ता–'ख', सहायक अभियन्ता–'ख' एवं अवर अभियन्ता–'ख' से वरिष्ठता क्रमानुसार पाली में तैनात की जायेगी। पाली वरिष्ठता सूची 'ख' के अनुसार पाली में चक्रीय आधार पर पुनः तैनाती की अवधि इस पद हेतु पैरा–1 पर निर्धारित अवधि के अनुसार होगी। परन्तु यदि उसी पद पर कार्मिक द्वारा पूर्व में की गई 'पाली सेवा' की अवधि किसी कारण से इस निर्धारित अवधि से अधिक रही हो, तो इस अधिक पाली अवधि को पुनः की जाने वाली 'पाली सेवा अवधि' की गणना में समायोजित कर लिया जायेगा। इस समायोजन हेतु 15 दिवस से कम अवधि को शून्य तथा 15 अथवा उससे अधिक 30 दिवस तक की अवधि को 1 माह माना जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अधिशासी अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता पर पर 2 वर्ष 9 माह की पाली सेवा पूर्व में कर रखी है, तो चक्रीय आधार पर दूसरी बार पाली सेवा में आने पर उसे 2 वर्ष – 9 माह = 1 वर्ष 3 माह हेतु पाली सेवा करनी होगी।
7. किसी भी अवर अभियन्ता को 6 वर्ष, सहायक अभियन्ता को 4 वर्ष एवं अधिशासी अभियन्ता को 2 वर्ष की पाली अवधि पूर्ण करने के पश्चात् चक्रीय क्रम में वरिष्ठता के अनुसार पुनः पाली में

आने तक पाली कार्य से मुक्त रखा जायेगा। साथ ही ऐसे सभी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, जिन्होंने 57 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उन्हें पाली कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।

8. यदि पाली में कार्य कर रहे किसी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता का उपरोक्तानुसार निर्धारित पाली अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही किसी अन्य विद्युत गृह पर स्थानांतरण हो जाता है, तो नये विद्युत गृह पर उनका नाम, यदि वह उस पद पर प्रथम बार पाली सेवा कर रहे हैं तथा पैरा–1 के अनुसार उनकी पाली अवधि पूर्ण नहीं हुयी हो तो, उस पद हेतु पाली वरिष्ठता सूची 'क' में अन्यथा पाली वरिष्ठता सूची 'ख' में रखा जायेगा। इस हेतु उनकी पाली वरिष्ठता, उस कार्मिक के नीचे रखी जायेगी जो पैरा–2 तथा 4 में निर्धारित नीति के अनुसार उस ताप विद्युत गृह पर उनसे वरिष्ठ हों। इस नयी पाली वरिष्ठता सूची के अनुसार पाली सेवा हेतु क्रम आने पर कार्मिक को पैरा–1 में निर्धारित अवधि हेतु पाली सेवा पूरी करनी होगी। परन्तु पूर्व में इस कार्मिक द्वारा उसी पद पर की गयी पाली सेवा का समायोजन पैरा–6 पर वर्णित नीति के आधार पर किया जायेगा।

9. (क) अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानांतरण की दशा में विद्युत गृह प्रमुख का यह अनिवार्य दायित्व होगा कि वह उनके कार्यमुक्त होने की तिथि तक उनके द्वारा कार्मिक के अवधारित पद पर 'पाली सेवा' में व्यतीत अवधि का प्रमाण पत्र कार्यभार प्रमाणक/कार्यमुक्ति आदेश के साथ में अवश्य दे दें। इसी प्रमाण के आधार पर नये तैनाती स्थल पर पाली तैनाती हेतु शेष अवधि की गणना की जायेगी।

   (ख) पदोन्नति की स्थिति में नये पद पर पाली की अवधि की गणना पैरा–1 के अनुसार नये रुप से की जायेगी।

10. उपर्युक्त आदेश निगमाधीन सभी विद्युत गृहों पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे एवं तद्नुसार प्रत्येक परियोजना प्रमुख द्वारा उक्त आदेशों के अनुपालन में परियोजना स्तर पर पाली में तैनाती हेतु उपर्युक्तानुसार अधिशासी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं की अलग–अलग वरिष्ठता सूचियाँ तत्काल घोषित की जायेंगी।

(ब) इलैक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर, इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्ट्रूमेंटेशन, दूर संचार, अभियांत्रिकी सम्बन्धित अभियन्ताओं हेतु–

1. इन अभियन्ताओं की भी पाली वरिष्ठता सूचियाँ विद्युत अभियांत्रिकी तथा यांत्रिक अभियांत्रिकी संबंधित अभियन्ताओं के समान उपरोक्तानुसार अलग से बनायी जायेंगी तथा उनका कार्यान्वयन भी, **"कन्ट्रोल एण्ड इन्सट्रूमेंटेशन"** तथा **" ई0डी0पी0"** (जो कि कम्प्यूटर एवं दूर संचार संबंधित कार्यों हेतु प्रस्तावित नयी इकाई है) की पाली कार्यों हेतु, उसी प्रकार किया जायेगा।

2. अधिशासी अभियन्ता पद सहित, इन अभियन्ताओं की तैनाती पाली कार्य से निकलने के पश्चात सामान्य पाली में "**कन्ट्रोल एण्ड इन्सट्रूमेंटेशन**" तथा " **ई0डी0पी0**" के कार्यों में ही की जायेगी।
3. उपरोक्त के कार्यान्वयन के लिये 01–04–2008 से पूर्व तैनात किये गये अभियन्ताओं में से विभिन्न ताप विद्युत गृहों पर वर्तमान में "**कन्ट्रोल एण्ड इन्सट्रूमेंटेशन**" इकाईयों में कार्यरत अधिशासी /सहायक /अवर अभियन्ता स्तर के सभी अभियन्ता इस श्रेणी के अन्तर्गत आवरित होंगे। इसी के साथ निगम द्वारा 01–04–2008 के पश्चात इन विधाओं में भर्ती किये गये सभी अभियन्ता भी इसी श्रेणी से आवरित होंगे।

(स) यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी। किन्हीं विशेष/अपरिहार्य परिस्थितियों में उपर्युक्त नीति में यदि कोई विचलन (deviation) किया जाना आवश्यक/अनिवार्य हो तो उस स्थिति में परियोजना प्रमुख द्वारा, औचित्य सिद्ध करते हुये, निदेशक (तकनीकी) की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 232–उनिलि/रिफॉर्म/मा.सं.नीति/पाली नीति　　　　दिनाँकः फरवरी 19, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उनिलि के निजी सचिव, लखनऊ।
2. निदेशक (तकनीकी/कार्मिक/वित्त), उनिलि लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह।
4. मुख्य अभियन्ता पी.पी.एम.एम./तापीय परिचालन/वाणिज्य/ईंधन।
5. अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबंधक (मा0सं0–01/02/03/04/05/06, प्रशिक्षण, टांडा वाइंडिग सेल)।
6. सचिव, उत्पादन सेवा आयोग, उनिलि लखनऊ।

(राजीव गोयल)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफार्म)